<u>न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)</u>

अपील संख्या 390/2011 दायरा दिनांक : 15.09.2011

उनवान

1– मथुरा पुत्र गोपीलाल, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2– जगन्नाथ पुत्र कंवरा, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :–

2/1– बीरम पुत्र जगन्नाथ, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3– अमरा पुत्र कंवरा, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड(मृतक) कायम मुकामान :–

3/1– गोकुल पुत्र अमरा, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3/2– फूलचन्द पुत्र अमरा, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3/3– प्रेमबाई पुत्री अमरा, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4– हजारी पुत्र बंशी, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— गीता बाई पुत्री घीसा, जाति राव, निवासीगण ग्राम आंकोलिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 448/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2004 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट गीता बाई ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम आकोलिया, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 33 की खसरा नम्बर 236 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 248 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 258 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 260 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा

16 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 13 बिस्वा कुल 10 किता की 18 बीघा 1 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादीगण और प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के खाते में दर्ज है । ग्राम आकोलिया में ही अन्य खाता संख्या 14 की आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 3 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमें वादी नम्बर 1 गीता बाई का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा है । शामलाती खाते में आराजी रहने से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और कड़ता राज अदा करने में परेशानी आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.2004 से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही फाईनल डिक्री जारी की है । पेपर पार्टीशन प्राप्त होने पर उस पर गौर नहीं किया है । नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है । नक्शा भी स्पष्ट नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.06.2011 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के

उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की है । अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 22.05.2003 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव आने के बाद दिनांक 24.11.2004 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है । बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वकील वादी की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तेयार किया गया है जबकि राजस्व मण्डल नियम के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2004 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा